

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
दूरभाष : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2021/12
प्रति,

दिनांक— 05/01/2021.

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय— प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एन.सी.टी.ई. एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लाक अर्थात् सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 07.01.2021 से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है।

संस्थायें प्रत्येक पाठ्यक्रम जिसकी शुल्क का विनियमन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है के लिये समिति की बेवसाईट www.afrcmp.org पर निर्धारित लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्म भरेंगी। संस्थायें शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि यूजी पाठ्यक्रमों के लिए रु. 50000/- एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिये रु. 25000/- ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से समिति, सचिवालय के बैंक खाते में जमा करायेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था को प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रोसेसिंग शुल्क की राशि के अतिरिक्त पोर्टल/मेन्टीनेंश शुल्क की राशि भी ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जाना है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियमक समिति द्वारा संस्था से वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक (Audited Balance Sheet) तथा पत्रक के साथ, संस्था के लिए निर्धारित प्रपत्रों को पूर्णतया भरकर आवश्यक सह पत्रों के साथ उपरोक्त तिथी तक संस्थाओं को शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव वेबसाईट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क विनियमन के लिए आनलाईन फार्म दिनांक 07.01.2021 से 30.04.2021 तक उपलब्ध रहेंगे।

निजी क्षेत्र की स्नातक/स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शिक्षण संस्था ऑनलाईन फॉर्म भरने के पश्चात् आवश्यक जानकारी एवं भे हुए प्रोफार्म के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर, रुपये 100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भरकर दिनांक 05.05.2021 तक समिति, सचिवालय में जमा करना अनिवार्य है। (शपथ पत्र का प्रारूप समिति, सचिवालय की वेबवसाईट पर भी उपलब्ध है)।

संस्थाएं जिनके द्वारा पूर्व के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के शुल्क विनियमन हेतु निर्धारित परीक्षण/निरीक्षण शुल्क की राशि के साथ पोर्टल/मेन्टीनेंश शुल्क की राशि भी तीन वर्ष के लिये ऑनलाईन के माध्यम से जमा करा दी गई हैं तो ऐसी संस्थाओं को परीक्षण/निरीक्षण शुल्क तथा पोर्टल/मेन्टीनेंश शुल्क की राशि जमा नहीं करना है।

ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों पूर्व में अनुमोदन प्राप्त हुआ है परन्तु इन पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का विनियमन समिति से नहीं कराया है, को आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन हेतु फार्म भरने के पूर्व इस सचिवालय में संस्था में संचालित इन पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क विनियमन कराने की कार्यवाही करना है।

साथ ही ऐसी संस्थायें जिनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अधिनियम के तहत संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2021–22 से पाठ्यक्रम के संचालन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है एवं ऐसी संस्थायें आगामी ब्लॉक के शुल्क विनियमन प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहती हैं, को भी इस सचिवालय में संस्था के इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाईन फार्म भरने के संबंध में लॉगिन आईडी (यूजर आईडी) एवं पासवर्ड प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करना है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं को समिति द्वारा वेबसाईट पर उपलब्ध प्रोफार्मा में ही समस्त जानकारियाँ भरना है। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वेबसाईट पर उपलब्ध फार्म के प्रिन्ट आउट की हॉर्डकॉपी निकालकर तत्संबंधित जानकारी भर लेंवे तथा पोर्टल पर अपलोड किये जाने वाले संलग्नकों को स्केन कर पीडीएफ में रख लेंवे ताकि ऑनलाईन फार्म भरने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। संस्थाओं को ऑनलाईन फार्म भरने के निर्देश भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, संस्था इन निर्देशों को पढ़ लेंवे तथा उनका अवलोकन कर ऑनलाईन फार्म भरने की कार्यवाही करें।

निर्धारित तिथि (पोर्टल पर ऑनलाईन) के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एकट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

प्रायः यह देखा गया है कि संस्थाओं के नामों में भिन्नता होने के कारण काउंसिलिंग के समय एवं रकालरशिप पोर्टल पर की जाने वाली प्रक्रिया सम्पन्न करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः ऐसी संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था का नाम संवैधानिक निकाय (ए.आई.सी.टी.ई, एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.टी.ई. इत्यादि) द्वारा दर्शाये अनुसार नाम में आवश्यक संशोधन प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से शीघ्र पूर्ण करावें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।


Dr. Dev Anand Hingoleliya
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृष्ठमांक/सचि./ओएसडी/2021/

- प्रान्तेलिपि—1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र को समिति, सचिवालय के वेबसाईट के होमपेज पर अपलोड करें तथा सत्र 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के शुल्क विनियमन कराये जाने वाली संस्थाओं को ईमेल करते हुये उनके वेबपोर्टल पर उपलब्ध करावें।


Dr. Dev Anand Hingoleliya
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

(प्रारूप)

// शपथ-पत्र //

मैं श्री पुत्र श्री आयु
निवासी वर्तमान में समिति का अध्यक्ष/सचिव शपथपूर्वक
निम्नानुसार कथन करता हूँ :—

(1) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) तदोपरांत संशोधित अधिनियम, 2013 एवं अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल, मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 एवं तत्पश्चात् जारी सभी संशोधनों को पूर्णतः एवं ध्यानपूर्वक पढ़ लिया एवं समझ लिया गया है जो कि समिति की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(2) यह कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21, सन् 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद द्वारा सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं में शुल्क के विनियमन से संबंधित राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल मंगलवार दिनांक 15 अप्रैल 2008 के पृष्ठ क्रमांक 404 (3) कंडिका क्रमांक-23 के अनुसार “उस दशा में जहाँ प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यह पाती है कि उपरोक्त अनियमितता की मात्रा अत्यधिक है, जो फीस निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, तो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति आवेदन को न मंजूर कर सकेगी और हमारी सोसायटी/ट्रस्ट/संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकेगी”, ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं समझ लिया गया है।

(3) प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा सत्र 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के शुल्क विनियमन कराये जाने से संबंधित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षर द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

(4) समिति सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रों के तहत दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था द्वारा प्राप्त समस्याओं/शिकायतों में से समस्त समस्याओं/शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है एवं इसकी सूचना प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय को भेज दी गई है।

(शपथ ग्रहीता)

सत्यापन

यह कि मैं श्री पुत्र श्री आयु
शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका क्रमांक 1 से 4 तक दी गयी जानकारी मेरे कथन के अनुसार सत्य एवं सही है।

(शपथ ग्रहीता)

टीप – उपरोक्त शपथ-पत्र को रु. 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पत्र पर टंकित करवाकर नोटराईज कराकर प्रस्ताव के साथ भेजें।